

[2025] 3 एस. सी. आर 128 : 2025 आईएनएससी 215

मेसर्स ए. बी. सी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2546/2025)

14 फरवरी 2025

[संजीव खन्ना,* सीजेआई, संजय कुमार और

के. वी. विश्वनाथन, जेजे।]

विचारणीय मुद्दा

क्या बीआरओ-सीमा सड़क संगठन द्वारा 1,569 रुपये की बोली स्वीकार करना उचित था, तथा अपीलकर्ता-एल 1 बोलीदाता द्वारा समझौते को निष्पादित करने में विफल रहने पर 15,04,64,000 रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के माध्यम से जब्त करने की मांग की गई थी।

संक्षिप्त मुकदमा †

संविदा अधिनियम, 1872 - धारा 20 - तथ्य की भूल - निविदा विवाद - चूक होने पर बैंक गारंटी/बोली सुरक्षा जब्त करना - प्रतिवादी संख्या 2- सीमा सड़क संगठन ने सुरंगों के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कीं और अपीलकर्ता को एल-1 बोलीदाता के रूप में स्थान दिया गया - जब वित्तीय बोलियां खोली गईं, तो अपीलकर्ताओं को अपनी गलती का पता चला कि अपीलकर्ता की बोली कीमत 1569 करोड़ रुपये के बजाय, उद्धृत राशि केवल 1569 रुपये थी - अगले दिन, अपीलकर्ता ने अधिकारियों को गलती के बारे में सूचित किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता से 1569 रुपये की उद्धृत राशि को उचित ठहराने के लिए कहा - प्रतिवादी संख्या 2 ने यह कहते हुए कि अपीलकर्ता को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, और उनकी बोली सुरक्षा जब्त की जानी है, अपीलकर्ता के बैंक से बैंक गारंटी को भुनाने और प्रतिवादी को 15,04,64,000 रुपये भेजने के लिए कहा। क्रमांक 2 - अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - शुद्धता:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 20 के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी समझौते की विषय वस्तु के रूप में वस्तु के मूल्य के बारे में एक गलत राय को तथ्य के रूप में एक गलती नहीं माना जाता है- तत्काल मामला गलती के कारण हिस्सेदारी में राहत चाहने

* लेखक

वाले व्यक्ति पर सामान्य सिद्धांत के किसी अपवाद के तहत नहीं आता है, क्योंकि 1,569/- रुपये की कीमत उद्धृत करने में त्रुटि या गलती स्वयं स्पष्ट है- एक के लिए अनुबंध पहाड़ी इलाकों में सड़कों और सुरंगों के निर्माण के लिए आवश्यक 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित मूल्य को केवल 1,569/- रुपये में कभी भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है- अपीलकर्ता की गलती थी और उसने गलती की थी, वित्तीय बोली में आवश्यक शून्य जोड़ने में विफल रहने की-एक प्रणाली की गड़बड़ी की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि अन्य लोगों ने बिना किसी समस्या के अपनी बोलियों को सफलतापूर्वक अपलोड किया था- बी. आर. ओ. का दावा कि देरी पूरी तरह से अपीलकर्ता की गलती के कारण हुई थी, त्रुटिपूर्ण है, इसकी अपनी खामियों को नजरअंदाज करते हुए-अधिकारियों सहित गलतियों को सुधारात्मक कदमों द्वारा से हल किया जाना-व्यावहारिक दृष्टिकोण से बचा जा सकता था। देरी, जो बी. आर. ओ. द्वारा अपीलकर्ता की वास्तविक त्रुटि को स्वीकार करने से इनकार करने और बोली को अनुचित रूप से रद्द करने के कारण हुई थी-अपीलकर्ता द्वारा कथित दो महीने की देरी गलत है-अपीलकर्ता ने तुरंत गलती को स्वीकार किया-अपीलकर्ता ने अपनी त्रुटि के परिणामस्वरूप बी. आर. ओ. को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया-यह भुगतान प्राप्त करने पर, बी. आर. ओ. ने अपीलकर्ता की मूल बैंक गारंटी या 5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया। 15.04 करोड़-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया।[पैरा 5,10,13-17]

उद्धृत केस कानून

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य [2001] 1 एससीआर 352:(2001) 2 एससीसी 451; मेसर्स ओमसाइराम स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम खान और भूविज्ञान निदेशक, बीबीएसआर और अन्य, 2024 आईएनएससी 520; कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और एक अन्य [2007] 5 एससीआर 430:(2007) 4 एस. सी. सी. 669- संदर्भित।

मोफेट, एच. और सी. को. बनामरोचेस्टर, 178 यू. एस. 373 (1900); हर्न बनाम न्यू इंग्लैंड मरीन इंसा. कं., 22 एल. एड. 395; स्पाइना एस्फाल्ट पेविंग एक्सकैवेटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इंक. बनामबरो ऑफ फेयरव्यू, 304 एन. जे. सुपर 425- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

अनुबंध अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

निविदाएं; तथ्य की गलती; देरी; ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय बोलियां; बैंक गारंटी; प्रणाली त्रुटि; टाइपोग्राफिक गलती; पेटेंट त्रुटि; बोली प्रतिभूति की ज़बती; बोली विनिर्देश; इक्विटी में राहत; बोली का चूक; बोली रद्द करना।

मामला सामने आ रहा है

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: दीवानी याचिका सं 2546/2025

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6658/2023 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2023 के निर्णय और आदेश द्वारा

दलों के लिए उपस्थिति

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव खन्ना, सुश्री नताशा सहरावत, सुश्री दीपाली भनोट, गौतम बर्नवाल, रुद्राक्ष पांडे, सुश्री अलीशा रॉय, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।
सुश्री अर्चना पाठक देव, ए. एस. जी., डॉ. एन. विशाखमूर्ति, यशराज सिंह बुंदेला, रमन यादव, हितार्थ राजा, उदित डेढिया, मुकेश कुमार मारोरिया, संजय कपूर, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री शुभा कपूर, सुश्री महिमा कपूर, अधिवक्ता प्रतिवादीओं के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

संजीव खन्ना, भारत के मुख्य न्यायाधिपति

अनुमति प्रदान की गई।

2. यह एक टालने योग्य मुकदमा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता- मेसर्स ए. बी. सी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक गलती हुई थी, हालांकि, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, भारत संघ के रक्षा मंत्रालय के तहत प्रतिवादी संख्या 2-सीमा सड़क संगठन¹ ने एक अस्पष्ट और अत्यधिक कानूनी रुख अपनाया, जिससे परियोजना के निष्पादन में देरी हुई।
3. हम मामले के तथ्यों पर संक्षेप में चर्चा करके प्रारंभ करते हैं:

¹ इसके बाद, "बीआरओ"।

- 23.02.2023 को, बीआरओ ने शिंकुन ला दर्रे पर लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी दो-लेन वाली जुड़वां सुरंगों के डिजाइन और निर्माण के लिए बोलियाँ आमंत्रित कीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में एनएचडीएल विनिर्देशों के अनुसार दारचा-पदम राजमार्ग को जोड़ने वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 15,04,64,00,000/- रुपये (1,504.64 करोड़ रुपये) थी। परियोजना को 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। बोली सुरक्षा राशि 15,04,64,000/- रुपये (15.04 करोड़ रुपये) थी।
- अपीलकर्ता सहित दस बोलीदाताओं ने 03.06.2023 पर अपनी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा की थीं। अपीलकर्ता ने, दूसरों की तरह, 15,04,64,000/- रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
- 05.06.2023 पर, तकनीकी बोलियां खोली गईं और अपीलकर्ता सहित सात बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया।
- 24.08.2023 पर, अपीलकर्ता सहित सात बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं और परिणाम घोषित किए गए।
- अपीलकर्ता को 1,569/- रुपये (केवल एक हजार पाँच सौ उनसठ रुपये) के बोली मूल्य के साथ एल-1 बोलीदाता के रूप में स्थान दिया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने 1,569 करोड़ रुपये का बोली मूल्य उद्धृत किया था। हालाँकि, वे जो दावा करते हैं वह एक प्रणाली त्रुटि थी, उद्धृत राशि केवल 1,569 रुपये के रूप में दिखाई दी।
- अपीलकर्ता का दावा है कि जब वित्तीय बोलियां खोली गईं और घोषित की गईं तो उन्होंने 24.08.2023 पर गलती का पता लगाया, और इसलिए, अगले दिन, 25.08.2023 पर, उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया कि उनकी वास्तविक बोली 1,569 करोड़ रुपये थी, न कि 1,569 रुपये। उन्होंने त्रुटि के लिए टंकण गलती या सर्वर के साथ एक गंभीर तकनीकी समस्या को जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि हम प्रणाली त्रुटि की अभिवाक् प्रतिगृहीत करना नहीं करेंगे, उद्धृत आंकड़ा स्पष्ट रूप से अवास्तविक था, एक पेटेंट त्रुटि और निविदा कार्य के पैमाने और प्रकृति को देखते हुए एक गलती थी। हालाँकि गलती का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद

जो हुआ वह समझ से परे है, बी. आर. ओ. ने निविदा से वापस लेने की इच्छा रखने वाले अपीलकर्ता के पत्रों के बावजूद बोली स्वीकार करने पर जोर दिया।

- मूल्यांकन समिति द्वारा निर्देशित बी. आर. ओ. ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बजाय, 26.08.2023 दिनांकित पत्र के माध्यम से, अपीलकर्ता से काम का दायरा, पूरा करने की अनुसूची, जोखिम आवंटन, सुरक्षा आवश्यकताओं और परियोजना को पूरा करने की क्षमता का प्रमाण सहित एक विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रदान करके 1,569 रुपये की उद्धृत राशि को 31.08.2023 द्वारा उचित ठहराने का आह्वान किया।
 - 30.08.2023 को, अपीलकर्ता ने दोहराया कि उनकी बोली 1,569 करोड़ रुपये की थी, न कि 1,569 रुपये की, जो एक तकनीकी या टंकण संबंधी गलती के कारण हुई थी।
 - 07.09.2023 पर, अपीलकर्ता ने एक और पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्हें एल 1 बोलीदाता नहीं माना जाना चाहिए, और Rs.15,04,64,000 की बैंक गारंटी उन्हें बिना नकदीकरण के वापस की जा सकती है।
 - 12.09.2023 पर, अपीलकर्ता ने फिर से इस बात पर जोर देते हुए लिखा कि बोली एक त्रुटि थी और बोली प्रतिभूति को जब्त नहीं किया जाना चाहिए।
 - पत्र 16.09.2023 के माध्यम से, बी. आर. ओ. ने अपीलकर्ता के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक को लिखा, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को चूककर्ता घोषित कर दिया गया था, और उनकी बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाना था। बैंक को बैंक गारंटी को भुनाने और बी. आर. ओ. को 15,04,64,000 रुपये भेजने के लिए कहा गया था।
 - अपीलकर्ता ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे दिनांक 07.10.2023 के विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है।
4. हमारे सामने संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या बी. आर. ओ. ने 1,569 रुपये की बोली स्वीकार करने में और 15,04,64,000 रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के माध्यम से

जुस्त करने की मांग करने वाले समझौते को निष्पादित करने में अपीलकर्ता की विफलता न्यायसंगत थी।

5. गलती एकतरफा या आपसी हो सकती है, लेकिन यह हमेशा अनजाने में होती है। यदि यह जानबूझकर किया गया है, तो यह गलती नहीं होगी। गलतियाँ या त्रुटियाँ, हालांकि टालने योग्य हैं, अनजाने में की जाती हैं। उनके कानून में अलग-अलग परिणाम होते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872² की धारा 20 के अनुसार, जिसमें किसी समझौते के दोनों पक्ष किसी समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के रूप में गलती कर रहे हैं, समझौता अमान्य है। धारा 20 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी समझौते का विषय बनने वाली वस्तु के मूल्य के बारे में गलत राय को तथ्य के रूप में गलती नहीं माना जाता है। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं होगा। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब यह प्रश्न इस न्यायालय या भारत के बाहर के न्यायालयों के समक्ष उठा हो। **पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य**³ के मामले में, इस न्यायालय ने अमेरिकी न्यायशास्त्र (दूसरा संस्करण, पृष्ठ 944 पर खंड 64) के पैराग्राफ 84 का उल्लेख किया, जिसमें लिखा है:

“एक सामान्य नियम के रूप में, एक सार्वजनिक अनुबंध के लिए एक बोलीदाता को न्यायसंगत राहत दी जाएगी, जहां उसने प्रस्तुत बोली में तथ्य की एक भौतिक गलती की है, और जहां, उस गलती का पता चलने पर, वह सार्वजनिक अधिकारियों को सूचित करने में तुरंत कार्य करता है और अपनी बोली या अपनी गलती को सुधारने के अवसर को वापस लेने का अनुरोध करता है, विशेष रूप से जब वह किसी औपचारिक अनुबंध में प्रवेश करने से पहले ऐसा करता है।”

6. इसके बाद, **मोफेट, एच. और सी. कंपनी बनाम रोचेस्टर**⁴ और **हर्न बनाम न्यू इंग्लैंड मरीन बीमा कंपनी**⁵ में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम अदालत के दो निर्णयों का संदर्भ दिया गया। जिसमें यह देखा गया है कि जहां गलती स्पष्ट है और पक्षकार तुरंत दूसरे को पता चलते ही सूचित करती है, लेकिन अनुबंध में प्रवेश करने से पहले,

2 इसके बाद, "अनुबंध अधिनियम"।

3 (2001) 2 एस. सी. सी. 451

4 178 अमेरिका 373 (1900)

5 22 एल. एड. 395

न्यायसंगत आदेश पारित किए जा सकते हैं। हालाँकि, गलती स्पष्ट, मुखर और निर्विवाद होनी चाहिए। इसके अलावा, एक तरफ की गलती रद्द करने का आधार हो सकती है, लेकिन उस अनुबंध में सुधार के लिए नहीं जहां पक्षों के विचार नहीं मिले हैं, फिर भी कोई अनुबंध नहीं है और इसलिए किसी को भी ठीक नहीं किया जा सकता है। जहाँ राहत असमान हो वहाँ नहीं दी जा सकती है। इस कानूनी स्थिति को स्वीकार करते हुए, **पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड** (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने गलती के कारण समानता में राहत की मांग करने वाले व्यक्ति पर सामान्य सिद्धांत के लिए निम्नलिखित अपवाद प्रस्तावित किए हैं:

“27.

(1) जहां बोली लगाने वाले की ओर से सामान्य सावधानी और परिश्रम के अभ्यास से गलती से बचा जा सकता है, लेकिन जहां बोली लगाने वाले को गलती की जानकारी है या माना जाता है, उसे ऐसी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(2) जहां गलती का पता चलने पर बोलीदाता संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने में तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहता है और सभी बोलियों को खोलने से पहले लिपिकीय गलती के आधार पर बोली में सुधार, वापसी या रद्द करने का अनुरोध नहीं किया जाता है।

(3) जहां बोलीदाता उस समय के बारे में बोलियों के लिए विज्ञापन में निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने में विफल रहता है जब बोलीदाता अपने प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं; हालाँकि जहाँ बोलियाँ खोलने के बाद गलती का पता चलता है, बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।”

7. यह निर्णय **स्पीना एस्फाल्ट पेविंग एक्सकैवेटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इंक. बनाम बोरो ऑफ फेयरव्यू**⁶ न्यू जर्सी के प्रवर न्यायालय के फैसले को भी संदर्भित करता है। उक्त मामला बोली विनिर्देशों में गलतियों के सुधार से संबंधित है। उक्त मामले में दी गई राहत को उच्च न्यायालय द्वारा इस सावधानी के साथ बरकरार रखा गया था कि आम तौर पर मूल्य के विवरण में एक त्रुटि को महत्वहीन नहीं माना जाएगा और यह केवल तभी होगा जब त्रुटि का मामला कानूनी एकाधिकार था और बोलीदाता का वास्तविक इरादा स्पष्ट था कि ऐसी त्रुटि की अवहेलना की जा सकती है।

8. **पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त)** में, निजी पक्ष, बोली लगाने वाला कई कारणों से सफल नहीं हुआ, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि त्रुटि स्पष्ट और स्वयं स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा, बोलियों के खुलने के डेढ़ महीने बाद ऐसी गलतियों में सुधार करने से बोली राशि की गणना से संबंधित स्पष्ट खंडों का उल्लंघन होता। इस प्रकार, एक बोलीदाता के पक्ष में नियम या शर्तों की छूट ने दूसरों के विचार में अनुचित संदेह पैदा कर दिया होगा जो पारदर्शिता और निष्पक्षता के नियम को बाधित कर रहा है और अनुबंध देने के लिए हेरफेर के लिए स्थान प्रदान कर रहा है।
9. **पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त)** में निर्णय को संदर्भित किया गया था और इसका पालन किया गया था, जहां इस न्यायालय के समक्ष **मैसर्स ओमसाइराम स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जोलोजी बी. बी. एस. आर. एवं अन्य⁷** मामले में बोलीदाता को राहत दी गई थी। इस निर्णय में कहा गया है कि न्यायालय को संविदात्मक वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में बहुत अधिक संयम बरतना चाहिए, फिर भी आनुपातिकता का सिद्धांत तब लागू होता है जब त्रुटि या गलती बड़ी होती है और समानता कुछ राहत देने के योग्य होती है। **कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्य⁸** में निर्णय का संदर्भ दिया गया था, जिसमें हड़ताली श्रमिकों पर लगाए गए आनुपातिकता या सजा के सवाल पर चर्चा की गई थी।

“18. “आनुपातिकता “एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें न्यायालय उस प्रक्रिया, विधि या तरीके से संबंधित है जिसमें निर्णय निर्माता ने अपनी प्राथमिकताओं का आदेश दिया है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है या किसी निर्णय पर पहुंचा है। निर्णय लेने का सार मामले में कारकों और विचारों के सापेक्ष महत्व के श्रेय में शामिल है। आनुपातिकता का सिद्धांत इस प्रकार के कदम की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है- अनुमेय प्राथमिकताओं के नियम का विस्तार।

19. डी स्मिथ का कहना है कि आनुपातिकता में “संतुलन परीक्षण” और “आवश्यकता परीक्षण” शामिल हैं। जबकि पहला (संतुलन परीक्षण) अत्यधिक कठोर

7 2024 आई. एन. एस. सी 520

8 (2007) 4 एस. सी. सी. 669

दंड या अधिकारों या हितों के उल्लंघन और प्रासंगिक विचारों के स्पष्ट असंतुलन की जांच की अनुमति देता है, बाद वाला (आवश्यकता परीक्षण) कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्प के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता है।[प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (1995), पीपी. 601-05, पैरा 13.085; वेड एंड फोर्सिथ को भी देखें/प्रशासनिक व्यवस्था (2005), पी. 366.]

20. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण) में, रीडिश्यू, वॉल्यूम। 1 (1), पृ. 144-45, पैरा 78 में कहा गया है:

“न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को रद्द कर देगा जिसमें उस उद्देश्य के बीच कोई उचित संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है और उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन, या जहां प्रशासनिक निकायों या निचली अदालतों द्वारा लगाए गए दंड पूरी तरह से प्रासंगिक कदाचार के अनुपात से बाहर हैं। आनुपातिकता का सिद्धांत यूरोपीय कानून में अच्छी तरह से स्थापित है, और अंग्रेजी अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा जहां यूरोपीय कानून घरेलू अदालतों में लागू करने योग्य है। आनुपातिकता का सिद्धांत अभी भी अंग्रेजी कानून में विकास के एक चरण में है; आनुपातिकता की कमी को आमतौर पर अंग्रेजी कानून में समीक्षा के लिए एक अलग आधार के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन इसे स्पष्ट अनुचितता का एक संकेत माना जाता है।”

तदनुसार, उक्त मामले में अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और उक्त भुगतान पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था।

10. वर्तमान मामला किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 1,569/- रुपये की कीमत उद्धृत करने में त्रुटि या गलती के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर बहस की जा सकती है क्योंकि यह स्वयं स्पष्ट है। पहाड़ी इलाकों में 4 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों और सुरंगों के निर्माण की आवश्यकता वाले 48 महीनों में फैले 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित मूल्य के लिए इस तरह के अनुबंध को केवल 1,569 रुपये में कभी भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

11. साथ ही, हम बी. आर. ओ. से सहमत हैं कि अपीलकर्ता की गलती थी और उसने वित्तीय बोली में आवश्यक शून्य जोड़ने में विफल रहने की गलती की थी। प्रणाली में गड़बड़ी की याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों ने बिना किसी समस्या के अपनी बोलियों को सफलतापूर्वक अपलोड किया था।
12. बी. आर. ओ. ने बोलियों को आमंत्रित करने के लिए दूसरा नोटिस जारी करने के कारण होने वाली देरी का हवाला देते हुए बैंक गारंटी को भुनाने को उचित ठहराया। यह दावा निराधार है, क्योंकि बी. आर. ओ. को 1,569/- रुपये की त्रुटि के बारे में पता था। स्पष्ट गलती के कारण बोली को अवैध घोषित करने के बजाय, बी. आर. ओ. ने अपीलकर्ता से बोली को सही ठहराने के लिए कहा, नोटिस को रद्द कर दिया, अपीलकर्ता को चूककर्ता घोषित कर दिया, बैंक गारंटी का आह्वान किया और बोलियों को आमंत्रित करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया।
13. इस प्रकार, बी. आर. ओ. का यह दावा कि देरी पूरी तरह से अपीलार्थी की गलती के कारण हुई थी, बी. आर. ओ. की अपनी खामियों को नजरअंदाज करते हुए त्रुटिपूर्ण है। अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों को सुधारात्मक कदमों द्वारा हल किया जाना चाहिए। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण देरी से बच सकता था, जो बी. आर. ओ. द्वारा अपीलार्थी की असली त्रुटि को स्वीकार करने से इनकार करने और बोली के अनुचित रद्द होने के कारण हुआ था।
14. अपीलकर्ता द्वारा कथित दो महीने की देरी गलत है। 03.06.2023 पर जमा की गई त्रुटि तभी स्पष्ट हुई जब 24.08.2023 पर वित्तीय बोलियां खोली गईं। अपीलकर्ता ने तुरंत 25.08.2023 पर गलती को स्वीकार किया।
15. एक नई निविदा जारी की गई, और 09.01.2024 पर खोली गई वित्तीय बोलियों से पता चला कि सबसे कम बोली 1,290 करोड़ रुपये की थी, जो पहले की 1,351 करोड़ रुपये की तुलना में कम थी। इस प्रकार, देरी होने पर, अनुबंध कम लागत पर दिया गया था।
16. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को उनकी त्रुटि के परिणामस्वरूप बी. आर. ओ. को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। इस भुगतान को प्राप्त करने पर, बी. आर. ओ. अपीलार्थी की मूल बैंक गारंटी या 15.04 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट वापस एक सप्ताह के भीतर करेगा।

17. आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जाता है और अपील उपरोक्त शर्तों सहित स्वीकृत की गई। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत की गई।

† हेडनोट निधि जैन द्वारा तैयार किए गए।

अनुवादकर्ता
जे.एस. महन्तान
(सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)